संख्या– 168 / XVII-A-3 / 2021–243(ATR) / 2002

प्रेषक,

एल0 फैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

271183 22/3/2021

E-Office C.R. Dy. No. ....dt. ....
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
(Deptt. of Social Justice & Empowerment)

सेवा में,

उप सचिव,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

समाज कल्याण अनुभाग–03 **देहरादून, दिनांक 16 मार्च, 2021**

विषय–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधित 2016 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के अन्तर्गत कैलेण्डर वर्ष 2020 की वार्षिक रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–PCR-11015/01/2021-PCR एवं PCR-11016/01/2021-PCR दिनांक 15.01.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 यथा–संशोधित 2016 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के अन्तर्गत कैलेण्डर वर्ष 2020 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर प्रेषित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(एल0 फैनई)
प्रमुख सचिव।

L/20-21

अनुससूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत कैलेंडर वर्ष 2020 की वार्षिक रिर्पोटः–

1– **कैलेण्डर वर्ष 2020 का विवरणः–** अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत कैलेंडर वर्ष 2020 में प्राप्त मामलों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किये जाते है तथा उनके मामलों को पंजीकृत करते हुए मा0 न्यायालय को प्रस्तुत किये जाते है।

2– **विधिक सहायताः–** अनुसूचित जाति /जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत उत्पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी सहायता हेतु जनपद बागेश्वर में विशेष अभियोजक नियुक्ति है तथा उनको नियमानुसार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों में न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय के पश्चात रूपये 5.000/– प्रति वाद के दर से भुगतान किया जाता है। अन्य 12 जनपदों में जिला शासकीय अधिवक्ताओं (फौजदारी) द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों में विधिक सहायता प्रदान की जाती है।

3– **अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों एवं गवाहों को यात्रा सुविधाः–** पुलिस विभाग द्वारा उत्पीड़ित व्यक्ति तथा गबाहों को न्यायालय तक आने जाने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है तथा जिन मामलों में यात्रा व्यय देय हो मामलों के अनुसार धनराशि प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।

4– **पुनर्वासनः–** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दर्ज मामलों में पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता दी जाती है, यदि प्रकरण पुनर्वासन से सम्बन्धित हो तो जिलाधिकारी की अनुशंसा पर पुर्नवास की कार्यवाही की जाती है।

5– **अधिकारियों की नियुक्तिः–**अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार उत्पीड़न सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु समस्त जनपदों में पुलिस विभाग में विशेष जॉच प्रकोष्ठ का गठन किया है। जिनके द्वारा एससी/एसटी से सम्बन्धित अभियोगों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। एससी/एसटी उत्पीड़न से सम्बन्धित अभियोगों को तत्काल पंजीकृत किया जाता है, जिनकी विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा सम्पादित की जाती है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा एससी/एसटी से सम्बन्धित

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

क्रमशः–2/–

अभियोगों के पंजीकरण में लापरवाही बरते जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है तथा पीड़ितों को समुचित सहयोग/सुरक्षा प्रदान किया जाता है।

6— **समितियों का गठनः**— जिला स्तर पर जिलाधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लोक अभियोजन अधिकारी आदि सदस्यों के साथ गोष्ठी आयोजित कर अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को समुचित सुरक्षा/सहयोग तथा मानकों के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी समस्याओं का निराकरण किय जाता है।

7— **सर्वेक्षणः**—उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार—निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत कैलेंडर वर्ष 2020 में कोई सर्वेक्षण नहीं हो पाया है।

8— **उत्पीड़न ग्रस्त क्षेत्रों का पता लगानाः**— उत्तराखण्ड राज्य का कोई भी जनपद या क्षेत्र अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न से प्रभावित नहीं हैं जहां इस प्रकार की लगातार या अधिक घटनाये होती है।

9— **विषेष न्यायालयों की स्थापनाः**— उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों में विशेष न्यायालय की स्थापना की गयी हैं, जिनमें उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई की जाती है।

10— **विशेष थानों का गठनः**—उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न से प्रभावित क्षेत्र नहीं है। इस कारण अलग से विशेष थानों का गठन नहीं किया गया है। जब कोई घटना होती है तो मामलों का निस्तारण नजदीकी थानों द्वारा किया जाता है।

11—**गैर अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अधिकारियों द्वारा किया गया अपराध** :— उत्तराखण्ड राज्य में कैलेंडर वर्ष 2020 में इस प्रकार का कोई मामले प्रकाश नहीं आये है। अतः सूचना शून्य है।

12— **नोडल अधिकारियों की नियुक्तिः**— राज्य के सभी जिलों में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न के मामलों को तुरन्त निस्तारण हेतु नामित किया गया है।

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

क्रमशः—3/—

13– **उत्पीड़न ग्रस्त क्षेत्रों में विशेष अधिकारियों की नियुक्तिः**–राज्य में एससी/एसटी उत्पीड़न से ग्रसित कोई क्षेत्र नहीं है जहां इस प्रकार की लगातार या अधिक घटनाये होती है। सूचना शून्य है।

14– **माडल कैन्टीजैन्सी प्लानः**– राज्य के सभी जनपदों को शासन/मुख्यालय से समय–समय पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1989 के प्राविधानों के अनुपालन एवं अनुश्रवण किये जाने के निर्देश निर्गत किये जाते है।

15– **प्रचार–प्रसार :–** अनुसूचित जाति/जनजाति के प्राविधानों के अनुपालन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपद मुख्यालयों, विकास खण्डों पर शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य योजना के साथ–साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार–निवारण) अधिनियम 1989 की जानकारी एवं प्रचार–प्रसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-I

Legal aid and other facilities provided to persons subjected to atrocities to enable them to avail themselves of justice

(Ref: Section 21{(2)(i)} of the Act)

State /UT: Uttarkhand.

Total Number of Districts: -

Sr. No.	District	Number of persons provided legal aid and other facilities								
		Male			Female			Total (Male+ Female)		
		SC	ST	Total	SC	ST	Total	SC	ST	Total
1.	पौड़ी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	टिहरी गढ़वाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	चमोली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	रूद्रप्रयाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	उत्तरकाशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	देहरादून	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	हरिद्वार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	नैनीताल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	अल्मोंड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	पिथौरागढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	बागेश्वर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	चम्पावत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	ऊधमसिंह नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-II

Travelling and maintenance expenses paid to witnesses, including the victims of atrocities, during investigation and trial of offences under the act

(Ref: Section 21{(2)(ii)} of the Act)

State /UT: **Uttarakhand.**

Total Number of Districts: -13

Sr. No.	District	Number of persons provided traveling and other Maintenance expenses								
		Male			Female			Total (Male+ Female)		
		SC	ST	Total	SC	ST	Total	SC	ST	Total
1.	पौड़ी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	टिहरी गढ़वाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	चमोली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	रूद्रप्रयाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	उत्तरकाशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	देहरादून	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	हरिद्वार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	नैनीताल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	अल्मोंड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	पिथौरागढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	बागेश्वर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	चम्पावत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	ऊधमसिंह नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-III

REGISTRATION CASES AS PER PROVISIONS OF THE AMENDED PoA ACT (Year-2019)

State- **Uttarakhand.**

Section 3 (as amended)	Gist of Provision Expanded, re-phased and new offences of atrocities under Section 3 of the Poa Act as amended	Number of cases registered
1	हत्या	4
2	गम्भीरचोट	2
3	बलात्कार	21
4	आगजनी	0
5	अन्य भा0द0वि0	64
6	SC/ST Act	24
7	ना0अ0सं0	0
8	अहस्तक्षेपीय अपराध	0
	योग–	115

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-IV

SPECIFICATION OF APRROPRIATE SCHEME TO ENSURE IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS AND ENTITLEMENTS OF WITNESSES IN ACCESSING JUSTICE

(SECTION 15a(11) OF THE Act.)

State- Uttarakhand.

Chapter of the PoA Act as amended	Section	Sub-Section	Gist
IVA	15A	11	थानों पर शिकायतकर्ता की सूचना पर तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति निःशुल्क दी जाती है। प्रत्येक धटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ितों को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराते हुये तत्काल प्रदान की जाने वाली सहायता हेतु जिला प्रशासन को रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा सम्पादित की जाती है। विवेचना समाप्ति के परिणाम से वादी मुकदमा को अवगत कराते हुये आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।
-	-	-	

निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-V

Steps taken by way of economic and social rehabilitation of victims of atrocities: relief to atrocity victims

(Ref: Section 21{(2)(iii)} of the Act read with Rule 12(4) of the POA Rules, 1995, as amended)

State /UT: Uttarakhand.

Total Number of Districts: -13

Calendar year 2020

No.	District	Number of Atrocity victims provided relief								
		Male			Female			Total (Male+ Female)		
		SC	ST	Total	SC	ST	Total	SC	ST	Total
1.	पौड़ी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	टिहरी गढ़वाल	6	0	6	2	0	2	8	0	8
3.	चमोली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	रूद्रप्रयाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	उत्तरकाशी	3	0	3	3	0	3	6	0	6
6.	देहरादून	7	0	7	11	1	12	18	1	19
7.	हरिद्वार	36	0	36	14	0	14	50	0	50
8.	नैनीताल	6	0	6	5	0	5	11	0	11
9.	अल्मोड़ा	1	0	1	1	0	1	2	0	2
10.	पिथौरागढ़	1	2	3	1	1	2	2	3	5
11.	बागेश्वर	3	0	3	0	0	0	3	0	3
12.	चम्पावत	2	0	2	1	0	1	3	0	3
13.	ऊधमसिंह नगर	11	1	12	2	2	4	13	3	16
	Total:-	**76**	**3**	**79**	**40**	**4**	**44**	**116**	**7**	**123**

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-VI

INVESTIGATION AND FILLING OF THE CHARGE SHEET WITHIN SIXTY DAYS

State- **Uttarakhand.**

Rule	Gist of Provision	Action Taken	
		Number of cases of which investigation and filling of the chargs sheet was dons:-	
		Within sixty days	later then Sixty Days
7(2)	–	81	FR-10, PI-24

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-VII

RELIEF AND REHABILITATION OF VICTIMS OF ATROCITIES

((Ref: Section 21(2)(iii) of the Act read with Rule 12(4) and Rule 12(4A) of the PoA Rules, 1995 as amended)

State- Uttarakhand

Rule	Gist of Provision	Action Taken	
		Number of cases of which the rellef amount was Paid to Concerned person(s) Within	
		seven days	later then seven days
12(4)	Provisions of relief to the concerned within seven days as per minimum amount of relief specified in Annexure-I of the Schedule of the PoA Rules as amended	–	17
12(4)A	Authorizaation by the State Government/UT Administration to the District Magistrate for immediate withdrawal of money from the treasury so as to timely provide relife amount.	–	32.86

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-VIII

Officers appointed for initiating or exercising supervision over prosecutions for contravention of the provisions of the Act: Setting up of SC/ST Protection Cell

(Ref: Section 21(2)(iv) of the Act read with Rule 8 of the POA Rules, 1995)

State /UT: **Uttarakhand.**

Composition of the Cell	Activity of the Cell	Number
अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न के अपराधों की रोकथाम हेतु समस्त जनपदों में विशेष जॉच प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिनके द्वारा एससी/एसटी के अपराधों की समीक्षा की जाती है। एससी/एसटी उत्पीड़न की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाता है, जिनकी विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा सम्पादित की जाती है। अभियोगों के पंजीकरण में लापरवाही बरते जाने की शिकायतें प्रकाश में नहीं आई है। इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। पीड़ितों को नियमानुसार सहायता राशि प्रदान किये जाने हेतु सम्बन्धित जिला समाज कल्याण विभाग एवं जिला प्रशासन को आख्या प्रेषित करते हुये पीड़ितों को समुचित सहयोग/सुरक्षा प्रदान किया जाता हैं।	**Surveys of identified areas conducted**	-
	Investigations done about the probable causes leading to an offence under the Act.	
	Enquiries made about the investigation and spot inspection conducted by various officers	
	Enquiries made about the wilful negligence by a public servant	
	Reviews conducted to assess the position of cases registered under the Act.	

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-IX

Constitution, frequency of conduct of the meetings of state, district and sub divisional level vigilance & monitoring committees

(Ref: Section 21(2)(v) of POA Act read with Rule 16, 17 &17A of POA Rules, 1995 as amended)

State /UT: Uttarakhand.

A. State Level Committee:

(a) Whether constituted : Yes Dete

(b) Number of meetings held in a calendar year :

B. District Level Committees: Yes.

District Level Committees

District Level Committees				
Sr. No.	**District**	**Date of last constitution of the DLVMC**	**Number of meetings held during the Year**	**Important Decisions taken in the meetings**
1.	पौड़ी	0	01	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित शिकायतों के निराकरण हेतु सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर हर सम्भव प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्थान हेतु सरकार द्वारा चलायी जा रही कार्य योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है।
2.	टिहरी गढ़वाल			
3.	चमोली	0	0	
4.	रूद्रप्रयाग	0	0	
5.	उत्तरकाशी	01-09-2020	02	
6.	देहरादून	25-09-2019	0	
7.	हरिद्वार	28-09-2020	03	
8.	नैनीताल	08-12-2020	02	
9.	अल्मोंड़ा	06-07-2020	01	
10.	पिथौरागढ़	0	0	
11.	बागेश्वर	25-08-2020	02	
12.	चम्पावत	19-03-2020	01	
13.	ऊधमसिंह नगर	03-11-2020	04	
	Total:			

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

c. Sub divisional lavel Committees

Sub divisional Level Committees				
Sr. No.	Sub divisional	**Date of last constitution of the DLVMC**	**Number of meetings held during the Year**	**Important Decisions taken in the meetings**
1	SDM Roorkee Haridwar	31-08-2020	05	Recommendation for payment of financial assistance to victims
	SDM Laksar Haridwar	29-06-2020	02	
	SDM Haridwar	9-12-2020	05	
	SDM Bhagwanpur Haridwar	31-08-2020	03	

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-X

PERIODIC SURVEY CONDUCTED ON THE WORKING OF THE PROVISIONS OF THE ACT.

(Ref: Section 21(2)(vi) of the Act)

State/UT: Uttarakhand.

Total Number of Districts: 13.

Sr.No	Where periodic surveys were conducted	
	District	Number of surveys conducted
	Nil	Nil
	Total: Nil	Nil

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-XI

AREAS IDENTIFIED WHERE MEMBERS OF SCs AND STs ARE LIKELY TO BE SUBJECTED TO ATROCITIES AND MEASURES ADOPTED TO ENSURE THIS SAFELY

(Ref: Section 21(2)(vii) of the Act)

State/UT: Uttarakhand.

Total Number of Districts:. .

Sr.No	Identified District	Specific areas within District, identified as atrocity prone areas	Measures taken for the removal of such disability in such areas
	-	-	राज्य को कोई भी जनपद या क्षेत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न से प्रभावित नहीं है।
	Total:-	NiL	

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-XII

Special Courts & Exclusive Special Courts set up for speedy trial of cases under the Act

State/UT: Uttarakhand.

Total Number of Districts:

Sr. No	Name of the District where set up:	
	Special Courts	Exclusive Special Courts
1	13	उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–189/XVII–4/2017–243(स0क0)2002टी0सी0–1 दिनांक 17 अप्रैल 2017 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अपराधों के शीघ्र विचारण हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद के जिला एवं सत्र न्यायालय को उसके विशेष क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
Total:		

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-XIII

SPECIFICATION OF SPECIAL PUBLIC PROSECUTORS AND EXCLUSIVE SPECIAL PUBLIC PROSECUTORS (ref: section 15 (1) and (2) of the PoA Act as amended)

State/UT: Uttarakhand.

Number of:		Number of:	
Special Courts in the State/UT	Special Public Prosecutors specified for conducting cases in the Special Courts	Exclusive Special Courts in the State/UT	Exclusive Special Public Prosecutors Specified for conducting cases in Exclusive Special Prosecutors
Uttarakhand.	-	-	-

शासन स्तर पर मा0 न्यायालयों में विशेष अधिवक्ताओं को नियुक्त की जाता है।

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-XIV

SETTING UP SC/ST PROTECTION CELL (ref: rule of the PoA Rules as amended)

State/UT: Uttarakhand.

Whether the SC/ST Protection cell has been set up	**Whether the SC/ST Cell is discharging all the responsibility specified in Rule 8 of the Poa Rule**	**Whether additional responsibility has been entrusted to SC/ST Protection Cell which is other than that spcified under Rule 8**
राज्य के 13 जनपदों में एस0सी0 / एस0टी0 संरक्षण कक्ष स्थापित है।	मुख्यालय स्तर पर अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ से सम्बन्धित कार्यो का पर्यवेक्षण महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड द्वारा किया जाता है।	अनुसूचित जाति / जनजाति उत्पीड़न से सम्बन्धित अपराधों की रोकथाम हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद में विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना कर नोडल अधिकारी नियुक्त हैं, जिनके कार्यो को पर्यवेक्षण सम्बन्धित जनपद प्रभारी द्वारा किया जाता है।

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-XV

SPECIAL POLICE STATIONS SET UP TO INVESTIGATE OFFENCER AGAINST MEMBERS OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

State/UT: Uttarakhand.

Total number of distrits: .

Sr. No.	District where special police station has been set up		Name of Districts where special Police station has not been set up
	Name of the Distirct	Number of Special police Stations	
राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न से प्रभावित क्षेत्र नहीं है, जिस कारण अलग से कोई विशेष थाने का गठन नहीं किया गया है।			

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-XVI

NON–SC /ST OFFICERS PUNISHED FOR WILFUL NEGLECT OF DUTIES

(Ref: Section 4 of Act as amended)

State/UT:Uttarakhand.

Number of officers punished for first offence under Section 4 of the POA Act as amended	Number of officers punished for second and subsequent offence under Section 5 of the POA ACT
NiL	NiL

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-XVII

Nodal officers nominated to co-ordinate functioning of the District Magistrates and Superintendent of Police and other officers, responsible for implementing provisions of the Act.

(Ref: Rule 9 of POA Rules, 1995 as amended)

State/UT: Uttarakhand.

(i) Whether quarterly progress report received from the SC/ST Protection Cells:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार–उत्पीड़न से सम्बन्धित अपराधों की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित की जाती है। जनपदों में घटित अपराधों की त्रैमासिक रिपोर्ट परिक्षेत्रों के माध्यम से मुख्यालय स्तर पर संकलित कर सूचना शासन/समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाती है।

(ii) Whether the review was undertaken of the reports mentioned above:

शून्य

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-XVIII

Special officers appointed for identified areas to co-ordinate with the District magistrate, Superintendent 0f Police or other officers responsible for implementing the provisions of the Act, various Committees and the scheduled castes and the scheduled tribes Protection Cell

(Ref: Rule 10 of the POA Rules, 1995 as amended)

State/UT: Uttarakhand.

Total Number of Districts: -

Sr. No	Identified District	Whether Special officer appointed (Yes/No)	Designation of the special officers
	NiL	NiL	NiL
		Total Number:	

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-XIX

IMPLEMENTATION OF A PLAN PREPARED FOR EFFECTIVELY IMPLEMENTING PROVISIONS OF THE ACT AND ITS NOTIFICATION IN THE STATE GAZETTE,

(Ref: Rule 15 of the POA Rules, 1995)

State/UT: Uttarakhand.

1. Whether the plan has been formulated (yes/no)	शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों पर कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये जाते है।
2. If yes, please describe its gist, and also attach its copy as required under rule 15(2) of the PoA Rules, as amended.	

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-XX

STEPS TAKEN BY STATE GOVERNMENT/UNION TERRITORY ADMINISTRATION

State/UT: Uttarakhand.

Number of Publicity/ Awareness Programmes conducted	Number of officers sensitized, amongst:	
	Police	others
NiL	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राविधानों का अनुश्रवण एवं प्रचार/प्रसार करने हेतु जनपदों में आयोजित होने वाली गोष्ठीयों में प्रतिभाग किया जाता है। पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम एवं संशोधित अधिनियम की विस्तृत जानकारी कर्मियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण, रिफ्रेसर कोर्स एवं समय–समय पर होने वाले विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान दिया जाता है।	

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-XXI

APPEALS FILED IN SUPERIOR COURTS IN CASES WHICH ENDED IN ACOUITTAL

State/UT: Uttarakhand.

Number of cases which ended in acquittal	Number of cases in which appeals filed in superior courts against acquittal
NiL	NiL

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Annexure-XXIII

Review of performance of Public Prosecutors

(Ref: Rule 4 (2 & 3) of the POA Rules as amended)

State /UT: Uttrakhand.

Names of Special Puplic Prosecutors and Exclusive Special Public Prosecutors changed for not pleading the PoA Act related cases effectively	
1. 2. 3. 4. 5.	NiL
Total Number -	NiL

सहायक निदेशक
समाज कल्याण उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

5.25. UTTARAKHAND

5.25.1 COMMITTES

STATE LEVEL VIGILANCE AND MONITORING COMMITTEE

The State Level Committee has been constituted under the Chairpersonship of the Chief Minister, to review implementation of the PoA Act.

DISTRICT LEVEL VIGILANCE AND MONITORING COMMITTEE

The District Level Committees have been constituted under the Chairpersonship of the concerned District Magistrate, to review implementation of the PoA Act. During the year 2020, 15 meetings were held in 13 districts.

SUB DIVISIONAL LEVEL VIGILANCE AND MONITORING COMMITTEE

Sub Divisional Level Vigilance and Monitoring Committees in all the Sub Divisions have been constituted. During the year 2020, 15 meetings were held in the Sub Divisions of 13 District.

5.25.2 STATE LEVEL SC AND ST PROTECTION CELL

Special Inquiry Cell has been set up in each district under the supervision of Superintendent of Police for prompt action. The cases of offences of atrocities against members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes were regularly reviewed and whenever any case was reported, the same was immediately registered under the PoA Act. These cases were investigated by the Deputy Superintendent of Police.

5.25.3 APPOINTMENT OF OFFICER

NODAL OFFICER

The Secretary, Social Welfare Department has been appointed as the Nodal Officer for coordinating functioning of the District Magistrates, Superintendents of Police and other officers authorized for implementation of provisions of the PoA Act.

5.25.4 INVESTIGATION AND FILING OF THE CHARGE SHEET WITHIN SIXTY DAYS

In accordance with Rule 7(2) of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Rules, 2016, in 81 cases, investigation and filing of charge sheet was done within sixty days and in 34 cases investigation and filing of charge sheet was done in later than sixty day.

5.25.5 SPECIAL COURTS

In each of the districts, the District and Session Courts have been designated as Special Courts, for trial of cases of offences under the PoA Act.

5.25.6 SPECIFICATION OF SPECIAL PUBLIC PROSECUTORS AND EXCLUSIVE SPECIAL PUBLIC PROSECUTORS

Special Public Prosecutors were specified to conduct the cases in designated Special Courts.

5.25.7 IDENTIFICATION OF ATROCITY PRONE AREAS

No atrocity prone areas have been identified in the State.

5.25.8 PUBLICITY AND AWARENESS GENERATION

For awareness of the provisions of the PoA Act, workshops were organized. Police officers were also sensitized and training was given to them from time to time.

5.25.9 ECONOMIC AND SOCIAL REHABILITATION

Financial assistance is provided to the victims of offences of atrocities in accordance with the provisions of the PoA Rules. During the year 2020, 123 persons were provided relief.

5.25.10 TRAVELLING AND MAINTENANCE EXPENSES

Travelling and maintenance allowance is provided to the victims, their dependents and witnesses in accordance with the PoA Rules.

5.25.11 LEGAL AID

The concerned District authorities provide free legal aid to members of SC/ST, in all Districts of the State. During the year 2020, no persons were provided Legal Aid.